न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री राजेश मेवाड़ा, आर.ए.एस.

<u>राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या</u> :— 20 / 2019

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. ओगड़राम उर्फ प्रकाश पुत्र धनाराम जाति घांची निवासी रूपावास तहसील सोजत जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली

<u>राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956</u>

<u>उपस्थितिः—</u>

1. **श्री नरेन्द्र सेन अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।**
2. **श्री विरेन्द्रसिंह भाटी, तहसीलदार, सोजत**

—: <u>निर्णय</u> :— **दिनांक — 28.11.2019**

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा गोदेलाव, पटवार हल्का रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 726, 758, 808 कुल किता 03 कुल रकबा 2.40 हैक्टर, बा0दो0, बा0अ0, सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 2109, 2110, 2113 से 2125, 2133 से 2136, चा0दो0, बंजड़, गै0मु0बाड़ा, कुल किता 19 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2106, 2107, 2108, 2126 से 2132, 2137 से 2157 कुल किता 31 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर बंजड़, चा0दो0, जा0दो0, गै0मु0बेरा, की भूमि प्रार्थी एवं अन्य सह खातेदारान की खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि स्थित है। उपरोक्त समस्त कृषि भूमि वादग्रस्त भूमि से सम्बोधित किया जावेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपवरोक्त आराजीयत की कृषि भूमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी का हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड़चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम राजस्व रेकर्ड में सेवन से ओगड़राम वल्द धनाराम दर्ज हो गया, जबकि प्रार्थी का सही नाम ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम, कौम घांची है तथा प्रार्थी को गांव, परिवार, समाज में भी इसी नाम से जाना पहचाना जाता है। बल्कि प्रार्थी के स्वयं मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पास बुक, परिवार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भी प्रार्थी का नाम ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम ही दर्ज है। जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थी का वास्तविक एवं दस्तावेजी नाम ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम ही है अर्थात् वादस्थ कृषि भूमि में ओगड़राम वल्द धनाराम तथा ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम एकमात्र व्यक्ति प्रार्थी ही है । बल्कि प्रार्थी के पिता धनाराम के सह खातेदारान व प्रार्थी के अलावा अन्य कोई इसी नाम का पुत्र या

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

वारिस नही है। अभी वर्तमान में दिनांक 15.02.2019 को प्रार्थी उपरोक्त कृषि भूमि पर ऋण की आवश्यकता होने से सम्बन्धित पटवारी हल्का से सम्पर्क कर राजस्व रेकर्ड की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहने हेतु कहा, जिस पर सम्बन्धित पटवारी हल्का द्वारा प्रार्थी को उक्त कृषि भूमि में ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम दर्ज न होकर ओगड़राम वल्द धनाराम नाम दर्ज होने की जानकारी दी। जिस पर प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित राजस्व रेकर्ड की वर्तमान जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि वादग्रस्थ कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड मे ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम दर्ज न होकर ओगड़राम वल्द धनाराम दर्ज हो गया, जो गलत है। जिसे प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र के जरिये दुरूस्त करवाने का अधिकारी हे। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पड़ेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पड़ेगा। प्रार्थी का नाम ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम दर्ज न होकर ओगड़राम वल्द धनाराम दर्ज हो जाने से प्रार्थी को कई सरकारी, अर्द्धसरकारी विभाग में प्राप्त योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है व अन्य लाभों से वंचित होना पड़ रहा हैं। इसलिए उक्त वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम ओगड़राम वल्द धनाराम के स्थान पर ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। उक्त राजस्व रेकर्ड में दुरूस्ती के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा तहसीलदार सोजत के कार्यालय में भी निवेदन किया लेकिन उनके द्वारा उक्त दुरूस्ती न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का होने से दुरूस्त नहीं किया गया। इसलिये उक्त आशय का प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत कर सरहद मौजा गोदेलाव, पटवार हल्का रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 726, 758, 808 कुल किता 03 कुल रकबा 2.40 हैक्टर, बा0दो0, बा0अ0 तथा सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 2109, 2110, 2113 से 2125, 2133 से 2136, चा0दो0, बंजड़, गै0मु0बा0, कुल किता 19 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2106, 2107, 2108, 2126 से 2132, 2137 से 2157 कुल किता 31 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर बंजड़, चा0दो0, जा0दो0, गै0मु0बेरा, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी का नाम ओगड़राम वल्द धनाराम के स्थान पर ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्ती किये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज बाबत जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को दिनांक 18.03.2019 से लगातार अनेकानेक अवसर दिये जाने पर भी जबाब पेश करने में विफल रहने से दिनांक 28.11.2019 को जबाब बन्द किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र के समर्थन में सहखातेदार रूपाराम पुत्र मंगलाराम जाति घांची, निवासी रूपावास, हेमी देवी पत्नी प्रतापराम उर्फ बाबुलाल जाति घांची, निवासी रूपावास, के

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned by CamScanner

तस्दीक सुदा शपथ पत्र पेश किए, सामिल मिसल है। प्रा0 पत्र के संलग्न अधिवक्ता प्रार्थी ने आधार कार्ड संख्या 596654573898, मतदाता निर्वाचन आयोग पहचान पत्र XXL2026557 दिनांक 02.06.2009, राशन संख्या 153573, बैंक पासबुक एस0बी0आई0 खाता संख्या 51104935405, पेन कार्ड संख्या BPTPB2086Q की छायाप्रतियां पेश की है, सा0मि0 है। प्रा0 पत्र में वर्णित तथ्यों की संपुष्टि में सहखातेदार रूपाराम व हेमी देवी के तस्दीक सुदा शपथ–पत्र दिनांक 28.11.2019 को पेश किए, सा0मि0 है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी तथा तहसीलदार, सोजत को सुना गया। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा गोदेलाव, पटवार हल्का रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 726, 758, 808 कुल किता 03 कुल रकबा 2.40 हैक्टर, बा0दो0, बा0अ0 तथा सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 2109, 2110, 2113 से 2125, 2133 से 2136, चा0दो0, बंजड़, गै0मु0बा0, कुल किता 19 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2106, 2107, 2108, 2126 से 2132, 2137 से 2157 कुल किता 31 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर बंजड़, चा0दो0, जा0दो0, गै0मु0बेरा, के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से ओगड़राम वल्द धनाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम, जाति घांची दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने उक्तानुसार दुरूस्ती किये जाने में सहमति/स्वीकारोक्ति व्यक्त की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि दर्ज सहखातेदारान रूपाराम पुत्र मंगलाराम एवं हेमी देवी पत्नी प्रतापराम उर्फ बाबुलाल के तस्दीक सुदा ताईद में प्रस्तुत शपथ पत्रों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस उभय पक्ष पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा गोदेलाव, पटवार हल्का रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 726, 758, 808 कुल किता 03 कुल रकबा 2.40 हैक्टर, बा0दो0, बा0अ0 सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 2109, 2110, 2113 से 2125, 2133 से 2136, चा0दो0, बंजड़, गै0मु0बाड़ा, कुल किता 19 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2106, 2107, 2108, 2126 से 2132, 2137 से 2157 कुल किता 31 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर बंजड़, चा0दो0, जा0दो0, गै0मु0बेरा, की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम ओगड़राम वल्द धनाराम, जाति घांची के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम, जाति घांची दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

अतः अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा गोदेलाव, पटवार हल्का रूपावास, तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खसरा नम्बर 726, 758, 808 कुल किता 03 कुल रकबा 2.4000 हैक्टर, बा0दो0, बा0अ0, सरहद मौजा रूपावास के खसरा नम्बर 2109, 2110, 2113 से 2125, 2133 से 2136, चा0दो0, बंजड़, गै0मु0बाड़ा, कुल किता 19 कुल रकबा 6.7400 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 2106, 2107, 2108, 2126 से 2132, 2137 से 2157 कुल किता 31 कुल रकबा 19.7100 हैक्टर बंजड़, चा0दो0, जा0दो0, गै0मु0बेरा, की भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नाम ओगड़राम वल्द धनाराम, जाति घांची सा0 रूपावास के स्थान पर वास्तविक व सही नाम की संपुष्टि हो जाने से ओगड़राम उर्फ प्रकाश वल्द धनाराम, जाति घांची दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

निर्णय आज दिनांक 28.11.2019 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(राजेश मेवाड़ा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned by CamScanner